प्रभूलाल बनाम मु0 भूरी

ल संख्या : 90/2011

10.05.2018

पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है । हमने प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 543 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम अन्थडा के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की है ।

हमने प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने जिस वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है वह उसके खातेदारी की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2009 बहाल रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 90/2011

प्रभूलाल आत्मज श्री सॉवल लाल आयु 43 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मु0 भूरी आयु 63 वर्ष पत्नी श्री बद्रीलाल जाति खाति निवासी ग्राम अन्थडा हाल मुकाम जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. सांवल लाल पुत्र श्री गोपाल आयु 83 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
3. रामपाल आत्मज श्री सावंल लाल आयु 38 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
4. हेमराज आत्मज श्री सॉवल लाल आयु 30 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. मु0 मधु पत्नी श्री प्रभूलाल आयु 33 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.08.2009 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 247/दावा/2008

मु0 भूरी आयु 63 वर्ष पत्नी श्री बद्रीलाल जाति खाति निवासी ग्राम अन्थडा हाल मुकाम जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज श्री सॉवल लाल आयु 43 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
2. सांवल लाल पुत्र श्री गोपाल आयु 83 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
3. रामपाल आत्मज श्री सावंल लाल आयु 38 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
4. हेमराज आत्मज श्री सॉवल लाल आयु 30 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. मु0 मधु पत्नी श्री प्रभूलाल आयु 33 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2009 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.05.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री श्याम दत्त दाधीच उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधारपर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.08.2009 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 08.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा